कार्यालय वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल धार जिला–धार, (म.प्र.)

पता – माण्डव रोड, धार, जिला–धार (म. प्र.) पिन : 454001
E-Mail : dfotdhar@mp.gov.in

क्र0 / स्टोर / 2025 / 7126 धार, दिनांक 26 / 08 / 2025

प्रति,

उप संचालक (विज्ञापन),
जनसंपर्क संचालनालय,
जनसंपर्क परिसर,
बाणगंगा, भोपाल (म0प्र0) ।

विषय :– विज्ञप्ति का प्रकाशन ।

– 0 –

वनमण्डल धार के अंतर्गत किराये से वाहन हेतु निविदा आमंत्रित की गई है। कृपया पत्र के साथ संलग्न विज्ञप्ति का प्रकाशन कम से कम एक राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र एंव दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में दिनांक 30 / 08 / 2025 के पूर्व कराने का कष्ट करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

By Email
Date 28/08/25 Time 11:55

(विजयनंथम टी.आर.)
भा.व.से
वनमंडलाधिकारी,
वनमंडल धार

पृ.क्रमांक / स्टोर / 7127 धार, दिनांक 26 / 08 / 2025

प्रतिलिपि :–

1. मुख्य वनसंरक्षक,वन वृत्त इन्दौर, की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।
2. समस्त उपवनमंडलाधिकारी / परिक्षेत्र अधिकारी, वनमण्डल धार की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

वनमंडलाधिकारी,
वनमंडल धार

Scanned with CamScanner

कार्यालय वन मण्डल अधिकारी वन मण्डल धार

माण्डव रोड,धार (म0प्र0) –454001
Email – dfotdhar@mp.gov.in

विज्ञप्ति

सूचित किया जाता है, कि धार वन मण्डल, जिला धार के अंतर्गत वन क्षेत्रो की गश्ती/शासकीय कार्यो के सम्पादन हेतु किराया वाहन की ई-निविदा समस्त करो सहीत न्युनतम दरो पर आमंत्रित की जाती है। जिसका सम्पूर्ण विवरण शर्ते एंव आवश्यक विस्तृत जानकारी म.प्र. शासन की वेबसाईट **https:// mptenders.gov.in** एवं **www.mpforest.gov.in** पर देखी जा सकती है। सूचना प्रकाशन दिनांक से 15-09-2025 तक इच्छुक निविदाकार ई-टेंडर के माध्यम से आनलाईन ई-निविदा प्रेषित कर सकेंगे।

वन मण्डल अधिकारी
वन मण्डल धार

Scanned with CamScanner

TENDER DOCUMENT

निविदा दस्तावेज

**** Rental Vehicle ****

किराया वाहन की निविदा

कार्यालय,

वनमंडलाधिकारी,

वनमंडल धार (म.प्र.)

E-Mail : dfotdhar@mp.gov.in

निविदा आमंत्रण

DATE 30/08/2025

Scanned with CamScanner

निविदा की शर्ते हेतु मार्गदर्शित प्रारूप (Draft)

विषय – सूची

खंड-सं.	विवरण	पेज
खंड-I	ई-निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी)	2
खंड-II	निविदा दाता को निर्देश (आईटीबी)	3-11
	ए. महत्वपूर्ण तिथियां/सामान्य जानकारी	3-4
	निविदा शर्ते	5-7
	बी. निविदा दस्तावेज	8-9
	सी. निविदा खोलना और उसका मूल्यांकन	10
	डी. अनुबंध प्रदान करना	11-12
	ई. अन्य नियम और शर्ते	13
	अनुलग्नक 1 से 2	14-15

Scanned with CamScanner

कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, धार वन मण्डल धार
माण्डव रोड धार (म.प्र.)

EMail-dfotdhar@mp.gov.in

खंड –I
ई–निविदा आमंत्रण सूचना
मध्यप्रदेश शासन

कार्यालय – वनमंडल धार,मध्य प्रदेश

ई–निविदा आमंत्रण सूचना संख्या 7120/ई–टेंडरिंग /2025–26 दिनांक 26.08.2025

1. वन मण्डल अधिकारी वन मण्डल धार द्वारा म.प्र. के नियमों एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 (यथा संशोधित –2022) के अंतर्गत निम्नलिखित ई–निविदा आमंत्रित की जाती है।

क.	वाहन का विवरण	Specifications	मात्रा (नग में)	सत्यांकार निधि
01	02	03	04	06
01	किराया वाहन	बुलेरो,स्कार्पियो,इनोवा,इनोवा क्रिस्टा .	4 वाहन	36000/–

1. निविदा दस्तावेज से संबंधित सभी विवरण ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर निःशुल्क देखे और डाउनलोड किए जा सकते है ।
2. इच्छुक निविदाकार क्रेडिट/डेबिट/कैश कार्ड/इंटरनेट बैकिंग के माध्यम से पोर्टल शुल्क का आनलाईन भुगतान करने के बाद निविदा दस्तावेज को ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर दिनांक 15.09.2025 शाम 5:00 बजे से निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय तक केवल ऑनलाईन खरीद सकते है।
3. ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर महत्वपूर्ण तिथियों के रूप में उल्लेखित निविदा प्रक्रिया तिथियां लागू होगी।
4. निविदा पूर्व बैठक दिनांक 12.09.2025 समय दोप. 1:00 बजे को कार्यालय वनमंडल धार में आयोजित की जाएगी,जिसमें इच्छुक निविदाकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि स्वयं वनमंडल कार्यालय में उपस्थित रहे, उसके बाद कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी। निविदा पूर्व बैठक में केवल वे ही भाग लेने के हकदार होंगे जिन्होने ई–टेंडर फार्म खरीदे है।
5. ई–निविदा आमंत्रण सूचना में शुद्धिपत्र/परिशिष्ट, यदि कोई हो केवल पोर्टल पर प्रकाशित किया जाएगा, समाचार पत्रों में नही ।
6. ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल : **https://www.mptenders.gov.in/**

वन मण्डल अधिकारी
वन मण्डल धार

Scanned with CamScanner

कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, धार वन मण्डल धार
माण्डव रोड धार (म.प्र.)
EMail-dfotdhar@mp.gov.in

खंड – II
ई–निविदाकारों के लिए निर्देश (आईटीबी)
वन विभाग धार, मध्यप्रदेश शासन
अ. महत्वपूर्ण तिथियं /सामन्य जानकारी

कमांक	जानकारी	विवरण
1	2	3
1	संक्षिप्त विवरण	धार वन मण्डल, जिला धार के अंतर्गत वन क्षेत्रो की गश्ती/शासकीय कार्यो के सम्पादन हेतु ई–निविदा समस्त करो सहीत न्युनतम दरो हेतु आमंत्रित की जाती है।
2	ई–टेन्डर आमंत्रण सुचना संख्या	ई–निविदा आमंत्रण सूचना संख्या/7120/E-Tender /2025-26/ दिनांक 26.08.202
3	निविदा शुल्क/निविदा दस्तावेज की लागत	1,000/– प्रोसेसिंग शुल्क (पोर्टल द्वारा स्वचालित रूप से निर्धारित)
4	सत्यांकार निधि	36000/– छत्तीस हजार मात्र)
5	निविदा प्रस्ताव की वैधता	वित्तीय वर्ष 2025–26 के भीतर जिसमें वन मण्डल अधिकारी धार वन मण्डल द्वारा निविदा आमंत्रित की गई है।
6	निष्पादन सुरक्षा	45000/– (पैंतालिस हजार मात्र)
7	अनुमानित निविदा मूल्य	1500000/–
8	निविदा पूर्व बैठक की तिथी ओर समय	12.09.2025 दोपहर 1.00 बजे।
9	निविदा जमा करने की अंतिम तिथि (अंतिम तिथि)	15.09.2025 शाम 5.00 बजे।
10	प्राप्त तकनिकी प्रस्तावों को खोलने का समय ओर तिथि	16.09.2025 शाम 4.00 बजे।
11	प्राप्त वित्तीय प्रस्तावों को खोलने का समय और तिथि	17.09.2025 शाम 5.00 बजे।
12	जमा करने का प्रकार	आनलाईन जमा https://www.mptenders.gov.in/ पर करें

Scanned with CamScanner

1. निविदा की स्वीकृत दरों की वैधता सफल निविदाकार और वन मण्डल अधिकारी धार वन मण्डल के बीच आपसी सहमति के अधीन 90 दिनों तक बढाई जा सकती है।

2. निविदा मे उल्लेखित की गई वस्तुओं की संभावित मात्रा सफल निविदाकार और वन मण्डल अधिकारी धार वन मण्डल के बीच आपसी सहमति के अधीन बढाई जा सकती है।

3. वन मण्डल अधिकारी धार वन मण्डल (निविदाकर्ता) किसी भी समय और बिना कोई बताए प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) प्रकिया को समाप्त कर सकता है। निविदाकर्ता कोई भी स्पष्ट या निहित प्रतिबद्वता नही करता है कि इस प्रकिया के परिणामस्वरूप किसी के साथ कोई व्यापारिक लेनदेन होगा। यह प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) निविदाकर्ता द्वारा कोई प्रस्ताव नही है। इस प्रकिया में निविदाकर्ता किसी भी समय बिना कोई कारण बताए इस प्रक्रिया को समाप्त कर सकता है।

4. **प्रति निविदाकार एक निविदा :–**

4.1 निविदाकार एक व्यक्तिगत ईकाई या संयुक्त उद्यम हो सकता है। संयुक्त की आवश्यता अनुलग्रक 6 में दी गई है।

4.2 कोई भी निविदाकार संयुक्त रूप से या अलग–अलग एक से अधिक निविदाये प्रस्तुत करने का हकदार नही होगा। यदि वह ऐसा करता है तो निविदाकार द्वारा भाग ली गई सभी निविदायें अयोग्य मानी जाएँगी।

5. निविदाकार को अपनी निविदा तैयार करने और प्रस्तुत करने से जुडे सभी खर्चे वहन करना होगा, और इसके लिए सरकार पर कोई भी दावा नही किया जाएगा।

6. निविदाकार को सलाह दी जाती है कि किराये के वाहन उपलब्ध कराने के पूर्व कार्य/आपूर्ति स्थल और उसके आस–पास का दौरा करें और निरीक्षण करें तथा निविदा तैयार करने और अनुबंध अंतर्गत निविदाकार को स्थल निरीक्षण आशय का प्रमाण पत्र अनुलग्नक–3 में प्रस्तुत करे। इस सबंध में सभी खर्चे निविदाकार को वहन करना होगा । आवश्यक नहीं

वन मण्डल अधिकारी
वन मण्डल धार

Scanned with CamScanner

भाग–3

वाहन मालिक (प्रथम पक्ष) एवं वन मण्डल अधिकारी (द्वितीय पक्ष) के बीच किराये पर लिये जाने गश्ति वाहन हेतु निम्नानुसार शर्तों के अंतर्गत अनुबंध किया जावेगा।

कार्यालय वनमंडलाधिकारी वनमंडल धार गस्ती वाहन मासिक किराये पर लेने हेतु निविदा की शर्तें निम्नानुसार रहेगी :–

सामान्य वनमंडल धार के अंतर्गत विभिन्न परिक्षेत्रों में वृक्षारोपण,वन सुरक्षा एंव वन एवं वन्यप्राणियों की सुरक्षा हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में माह सितंबर–2025 से 31.03.2026 की अवधि हेतु वाहन मय ड्रायवर सहित किराये पर चलाने हेतु आवश्यकता है।

1. निविदा के विरूद्ध लगाये जाने वाले प्रस्तावित वाहन का पंजीयन एवं बीमा की सत्यापित छायाप्रति निविदा के साथ लगाया जाना आवश्यक है।

2 वाहन वर्ष 2023 के पूर्व का नहीं होना चाहिये। वाहन मालिक प्रथम पक्ष का रहेगा वाहन चालक जिसके पास नियमानुसार फोर व्हीलर का ड्रायविंग लाइसेंस होना आवश्यक है। वाहन चालक का वेतन भत्ता एवं अन्य व्यय प्रथम पक्ष द्वारा वहन किये जायेंगे।

3 प्रथम पक्ष का वाहन चालक बीमा, रजिस्ट्रेशन, ड्रायविंग लाइसेंस आदि कागजात हमेशा वाहन में रखेगा वाहन टैक्स पेड होगा तथा स्वामित्व का प्रमाण पत्र देना होगा एवं प्रति कार्यालय वन मंडलाधिकारी धार को उपलब्ध कराना होगा।

4 वाहन के स्वामित्व आदि के किसी प्रकार के विवाद का उत्तरदायित्व प्रथम पक्ष का होगा।

5 प्रस्ताव मान्य होने पर वाहन प्रतिमाह बिना किसी अवकाश के प्रतिदिन वाहन चालक सहित विभाग को उपलब्ध कराना होगा, यात्रा के दौरान वाहन दुर्गम स्थान पर भी ले जाया जा सकेगा। वाहन के चालक का यह कर्तव्य होगा कि उपयोगकर्ता अधिकारी के आदेशों का पालन करे।

6 किराये के वाहन बीमा, सड़क सुरक्षा प्रमाण–पत्र रजिस्ट्रेशन, वाहन व्यावसायिक उपयोग हेतु शासन के नियमानुसार समस्त लायसेंस/प्रमाण–पत्र, रोड टैक्स की जिम्मेदारी प्रदायकर्ता की होगी।

7 वाहन सेल्फ स्टार्ट होना आवश्यक है वाहन में स्टेपनी, चारो पहिओं के टायर–ट्यूब वा माइलोमीटर उत्तम एवं चालू हालत में होने की जिम्मेदारी वाहन प्रदाता की होगी। खराब होने अथवा किसी भी अन्य स्थिति में अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा।

8 टोल टैक्स, पार्किंग शुल्क आदि द्वितीय पक्ष को वहन करना होगा। उपयोगकर्ता अधिकारी के द्वारा हस्ताक्षरित स्लिप प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जावेगा।

9 दौरे पर वाहन चालक को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ते की पात्रता नहीं होगी। वेतन, यात्रा भत्ता आदि समस्त भुगतान प्रथम पक्ष द्वारा ही किया जावेगा।

10 कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने वाले वाहन की समस्त प्रकार की मरम्मत, सुधार कार्य टायर ट्यूब बैटरी को तत्काल बदलने की जिम्मेदारी संबंधित प्रथम पक्ष की होगी। वाहन चालक को वाहन मरम्मत का बैसिक ज्ञान होना चाहिये।

11 किराये पर लिये गये वाहन की सेवाएं संतोषजनक नहीं होने पर किसी भी समय वाहन कार्यालय से हटाने का अधिकार वन मण्डलाधिकारी धार को होगा।

12 आवश्यकता होने पर इन्ही शर्तो पर अतिरिक्त वाहन भी प्रथम पक्ष से उपलब्ध कराने हेतु विभाग मांग कर सकेगा।

13 वाहन चालक के ड्राइविंग लाइसेंस की छायाप्रति उसका निवास का पता प्रथम पक्ष का सत्यापन प्रमाण पत्र की छायाप्रति कार्यालय में जमा कराई जायेगी।

14 वाहन की लागबुक में प्रतिदिन मीटर रीडिंग आदि का विवरण भरने का उत्तरदायित्व वाहन चालक का होगा तथा संबंधित अधिकारी से हस्ताक्षर कराने का उत्तरदायीत्व वाहन चालक का होगा। वाहन की लागबुक के प्रमाणीकरण के आधार पर ही वाहन के देयकों का भुगतान किया जायेगा।

15. किराये का भुगतान कार्यालय द्वारा प्रतिमाह नियमानुसार संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा किया जावेगा।

16. वाहन खराब होने की स्थिति में द्वितीय पक्ष द्वारा वाहन के ठीक होने का 2 घंटे इंतजार किया जावेगा। इसके अधिक समय लगने पर दूसरे वाहन की व्यवस्था प्रथम पक्ष द्वारा की जावेगा

17. यह अनुबंध एक वर्ष के लिए है, सेवाएं संतोषजनक पाये जाने पर आगे भी बढाया जा सकेगा।

18. निविदा निर्धारित प्रपत्र में ही भरी जावेगी।

19 किराये पर लिये जाने वाले प्रत्येक वाहन हेतु किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी रूपये 36000/– (रूपये छत्तीस हजार) ऑनलाईन जमा की जाना होगी।

20. कार्यालय द्वारा वाहन प्रदाय आदेश जारी होने पर निविदाकार की निर्धारित शर्तो के अधीन वाहन उपलब्ध कराना होगा। यदि निविदाकार अनुबंध करने एवं वाहन उपलब्ध कराने में असमर्थ रहता है, तो उसके द्वारा जमा की गई अरनेस्ट मनी शासन के पक्ष में राजसात की जावेगी।

21 अनुबंध अवधि में यदि किसी निविदाकार वाहन उपलब्ध नहीं कराता है और यदि कार्यालय द्वारा अन्य स्त्रोत से वाहन किराये पर लेता है तो अंतर की राशि निविदाकार के अरनेस्ट मनी से वसूल योग्य होगी तथा वसूली उपरांत अरनेस्ट मनी की शेष राशि संबंधित निविदाकार द्वारा 16 दिवस के अंदर जमा की जावेगी।

Scanned with CamScanner

22. वाहन मालिक/ ड्रायवर को वाहन कार्यालय के संबंधित अधिकारी के निवास पर ही रखना होगा। इस हेतु प्रतिदिन वाहन चालक द्वारा गाडी छोड कर जाना होगा तथा गाड़ी की चाबी संबंधित अधिकारी को देनी होगी तथा वाहन चालक के न होने पर गाडी संबंधित अधिकारी द्वारा भी चलाई जा सकेगी।

23. वाहन चालक की उपस्थिती एवं वाहन के रख–रखाव की जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की होगी।

24. वाहन की दुर्घटना तोडफोड एवं किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति आदि के लिये कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।

25. निविदाकार द्वारा एक दूरभाष लेण्ड लाईन एवं मोबाईल नम्बर निविदा में लेख किया जावे जिस पर वाहन संबंधी समस्त जानकारी बाबद् सूचना का आदान प्रदान किया जावेगा।

26 जिस दिनांक को वाहन खराब होने के कारण वाहन नही चलने पर उस दिन का किराया देय योग्य नहीं होगा या वाहन की खराब होने की स्थिति में वाहन मालिक को उसी मेक का अन्य वाहन उपलब्ध कराना होगा। वाहन उपलब्ध न कराने की दशा में कार्यालय यदि अन्य वाहन किराये पर लेता है तो किराये के अंतर की राशि वाहन स्वामी से वसूल होगी।

27. समय पर वाहन न उपलब्ध होने पर अथवा वाहन चालक के संतोषजन व्यवहार न होने पर समानुपात में भुगतान में कटौती की जावेगी।

28. वाहन पर वैध लाईसेंसधारी ड्रायवर को ही रखा जावेगा। ड्रायवर को समय का पाबंद, मंदिरा अथवा अन्य व्यवसन रहित तथा अच्छे व्यवहार, चालचलन वाला आवश्यक है।

29. वाहन द्वारा प्रवास के दौरान यात्रा संबंधित कोई असुविधा होने पर प्रथम पक्ष अपनी व्यवस्था से स्थान तक स्वयं के व्यय से पहुचाने एवं लाने हेतु उत्तरदायी रहेगा।

30. वाहन में किसी प्रकार की दुर्घटना होने अथवा यातायात या अन्य नियमों का उल्लंघन होने पर संपूर्ण जवाबदारी वाहन चालक एवं वाहन मालिक की होगी। यदि किसी प्रकार की घटना में किसी अधिकारी/कर्मचारी को न्यायालय में उपस्थित होना पड़ता है तो उसका सम्पूर्ण व्यय वाहन मालिक वहन करेगा।

31. वाहन में किसी प्रकार प्रतिबंधित सामग्री का परिवहन नहीं किया जावेगा। वाहन में किसी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री पाये जाने पर वालन चालक एवं वाहन सामग्री का उत्तरदायित्व होगा।

32. निविदाकार/वाहन स्वामी को केन्द्रीय उत्पाद कर (सेन्ट्रल एकसाईज ड्युटी) विभाग के अन्तर्गत नियमानुसार सर्विस टैक्स हेतु पंजीकृत होना आवश्यक होगा एवं इसका पंजीयन कमांक निविदा प्रपत्र में देयको पर अंकित होना आवश्यक है।

33. देयक से नियमानुसार समय–समय पर प्रचलित (टी.डी.एस.) की कटौती की जावेगी। इस हेतु वाहन मालिक को फर्म/व्यक्ति का पेन देना होगा जिसका उल्लेख निविदा/देयकों पर होना अनिवार्य है। इसी आधार पर संबंधित टी.डी.एस. प्रमाण–पत्र जारी किया जावेगा।

34. वाहन किराया बजट की उपलब्धता अनुसार अगले माह भुगतान किया जावेगा।

35. बजट की उपलब्धता अनुसार वाहन लगाया/हटाया जा सकता है

36. किसी भी विवाद की स्थिति में वन मण्डलाधिकारी, धार का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

37. वाहनो की संख्या कम ज्यादा की जा सकती है।

38. वाहनो की अवधि कम ज्यादा की जा सकती है।

39. वनमण्डल (क्षेत्रीय) धार जिला धार के अंतर्गत आने वाले परिक्षेत्रों धार,माण्डव, धामनोद, बाग,टाण्डा, कुक्षी एवं सरदारपुर के शासकीय कार्यो में उपयोग हेतु उपरोक्त परिक्षेत्रों में वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए चार पहिया (हल्का वाहन श्रेणी) वाहन वन क्षेत्रों में जाने की दृष्टि से बोलेरो/पीकप/स्कार्पियो/इनोवा/इनोवा क्रिस्टा वाहन टेक्सी कोटे (टी सीरिज) के कुल 04 वाहन /मासिक किराये पर लेने हेतु शर्तो पर निविदा आमंत्रित की गई है तथा वाहन का माडल वर्ष 2023 या उसके पश्चात वर्ष के होना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपके द्वारा दी गई निर्धारित दरो अनुसार ही समस्त करो सहित भुगतान न्युनतम दर अनुसार किया जावेगा। निविदाकार की न्युनतम दर मान्य की जावेगी। वाहन अधिकतम प्रत्येक माह में 3000 किलो मीटर तक मान्य अनिवार्य होगा।

40. अनुबंधित वाहनो में Front & Rear केमरे (गश्ती के दौरान घटनाओं को Capture करने के लिये) लगे होने चाहिये।

41. वाहन किराये पर देने के पूर्व वाहन समक्ष में वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल धार को दिखाना होगा।

42. वाहन को बंद करने एवं अन्य सभी अधिकार वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल धार को रहेंगे, उनका निर्णय अंतिम रहेगा एवं वाहन मालिक को मान्य होगा।

43. वाहन की प्रति लीटर डीजल/पेट्रोल की औसत खपत 10 कि.मी. से कम नहीं होगी। इससे कम औसत होने पर वाहन प्रदाता की क्षतिपूर्ति की जवाबदारी रहेगी। प्रति लीटर/पेट्रोल की औसत खपत 10 कि.मी. से अधिक होने पर विभाग के पक्ष में होगी।

44. वाहन में यदि जीपीएस उपकरण लगा हो तो उसे वाहन मालिक द्वारा हटाना होगा। वाहन में विभाग द्वारा इस्टाल जीपीएस उपकरण का उपयोग किया जावेगा।

45. वाहन मालिक द्वारा वाहन चालक को खाकी वर्दी /जुते प्रदाय करना होंगे।वाहन चालक को ड्युटी के दौरान हमेशा वर्दी में रहना है।वर्दी का गलत तरीके से उपयोग करने पर वाहन चालक/ वाहन मालिक पर कार्यवाही की जावेंगी।

46. मासिक किराये का वाहन 24 घंटे विभाग की सेवा में रहेगा। वाहन की सुरक्षा का पूर्ण उत्तरदायित्व वाहन का मालिक का होगा। वाहन मालिक/ ड्रायवर को वाहन विभाग के संबंधित अधिकारी के निवास पर ही रखनाा होगा।इस हेतु प्रतिदिन वाहन

Scanned with CamScanner

चालक द्वारा वाहन की चाबी संबंधित प्रभारी अधिकारी को वाहन छोड़ने के पूर्व सौपनी होगी। वाहन चालक की अनुपस्थिति में वाहन विभाग के अधिकारी/ वाहन चालक द्वारा आवश्यकता अनुसार चलाया जा सकेगा।

47. निविदाकार को सूचित हो कि किसी ऐसी दशा में जब निविदा से संबंधित किसी नियम या स्थिति के संबंध में कोई अस्पष्टता या भ्रम हो तो ऐसी स्थिति में, चाहे निविदा में उस संबंध में कोई संदर्भ मौजूद हो या न हो, उसकी स्वाभाविक व्याख्या इस प्रकार होगी कि उसका लाभ विभाग को मिले।

48. वाहन के स्थानीय या मुख्यालय से बाहर उपयोग करने में न्यूनतम दूरी का कोई बंधन नहीं रहेगा। वाहन चालन हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम दूरी विभागीय उपयोग के आधार पर निर्धारित होगी। इस हेतु मासिक/दैनिक किराये की दर के अलावा पृथक से कोई राशि देय नहीं होगी।

49. किसी प्रकार की आपत्ती हो तो वन मण्डल धार के ई–मेल एड्रेस पर dfotdhar@mp.gov.in प्रस्तुत करे।

उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन करने पर वाहन को कभी भी हटाया जा सकता है।

वन मण्डल अधिकारी,
वन मण्डल धार

Scanned with CamScanner

442, 445)

DM 2

(ब) ई–निविदा हेतु आवश्यक दस्तावेजो की सुंची

1. निविदाकार को धरोहर राशि रुपये 36000/– (अक्षरी छत्तीस हजार मात्र) ऑनलाईन जमा करना होगा। इसका अभिलेख दस्तावेज के साथ संलग्न करना होगा।

2. निविदा में वैद्य पंजीयन की प्रति, पैन कार्ड, जी.एस.टी. कमांक, आधार कार्ड एवं 03 वर्ष का आयकर चुकाया फार्म की अभि प्रमाणित प्रतियॉ संलग्न करना होगा।

3. निविदा प्रपत्र/फार्म की हस्ताक्षरित प्रति ।

4. विगत 03 वर्षो आय–व्यय का ब्योरा।

वन मण्डल अधिकारी,
वन मण्डल धार

5. निविदाकार से निविदा दस्तावेज के सभी निर्देशों और शर्तो की सावधानी पुर्वक जांच करने की अपेक्षा की जाती है। ऐसा न करने पर निविदाकार पुरी तरह से जिम्मेदार होगा।
6. ई– टेन्डर आमंत्रण सुचना में स्थान, तिथि और समय का उल्लेख किया जाएगा। निविदा पूर्व बैठक के कार्यकम में कोई भी बदलाव केवल बेवसाईट पर अधिसुचित किया जाएगा, और निविदाकारों को अलग से सुचित नही किया जाएगा।
7. कोई भी संभावित निविदाकार निविदा पूर्व बैठक से पहले या उसके दौरान लिखित रूप से अपने प्रश्न उठा सकता है अथवा स्पष्टीकरण मांग सकता है। ऐसी बैठक का उद्देश्य मुद्दों को स्पष्ट करना ओर उस चरण में उठाए जाने वाले किसी भी मामले पर सवालों के जवाब देना है। निविदाकर्ता अपने विकल्प पर ऐसे स्पष्टीकरण दे सकता है। जो उसे आवश्यक लगें।
8 निविदा पूर्व बैठक का कार्य विवरण जिसमें उठाए गए प्रश्नों का सार और दिए गए उत्तर तथा बैठक के बाद तैयार किए गए किसी भी उत्तर को शामिल किया जाएगा, वेबसाईट पर प्रस्तुत किया जाएगा।
9 निविदा पूर्व बैठक के बाद यदि निविदिकर्ता निविदा दस्तावेज में संशोधन करना आवश्यक समझता है, तो यह आनलाईन ई–निविदा आमंत्रण सूचना में संशोधन जारी करके किया जायेगा।

10. सत्यांकार निधि (ईएमडी)

10.1 सत्यांकर निधि की गणना मध्यप्रदेश भण्डार कय नियम एवं सेवा उपार्जन नियम, 2015 (यथा संशोधित–2022) के नियम 14 के अनुरुप की जानी है।
10.2 सत्यांकार निधि, राशि रू. 36000/– (छत्तीस हजार मात्र) ई–निविदा अनुसार जमा की जावे (उपर्युक्त नियमों के खंड 14.1 के अनुसार)
10.3 सफल सत्याकांर निधि राशि रू. 36000/– (छत्तीस हजार मात्र) की रसीद स्केन की जावे?
10.4 असफल निविदाकारो की सत्यांकार निधि यथाशीघ्र वापस कर दी जाएगी। (उपयुक्त नियमों के खंड 14.2 के अनुसार)
10.5.1 यदि निविदाकार, निविदा वैधता या इसकी विस्तारित अवधि, यदि कोई हो, के दौरान अपनी निविदा वापस ले लेता है या उद्धृत मुल्य में वृद्धि करता है।

या

निविदा प्रकिया के दौरान, यदि निविदाकार जानबुझकर ऐसा कोई कार्य करता है जिसमें निविदा के मुल्यांकन और निविदा को अंतिम रूप देने की प्रकिया में जोखिम या अनावश्यक रूप से देरी हो।

या

सफल निविदाकार के मामले में, यदि निविदाकार, निविदाकर्ता द्वारा कार्य आदेश जारी करने के 15 दिनो के भीतर निष्पादन सुरक्षा राशि जमा करने में विफल रहता है।

या

निविदा प्रकिया के दौरान यदि निविदा में कोई जानकारी गलत/हेरफेर/छिपी हुई पाई जाती है।

Scanned with CamScanner

10.6 सत्यांकार निधि जब्त करने और निविदा को अस्वीकार करने के संबंध में निविदाकर्ता का निर्णय अंतिम होगा और किसी भी परिस्थिति में उस पर सवाल नही उठाया जाएगा।

11. सम्पूर्ण निविदा प्रकिया पोर्टल के माध्यम से तीन कवर प्रणाली में ऑनलाईन होगी। इस निविदा सुचना के संबधं में सभी अधिसुचनाएं और विस्तृत नियम एवं शर्ते वेबसाईट पर ऑनलाईन प्रकाशित की जाएगी।

12. निविदा दस्तावेज डाउनलोड करने और निविदाओं को ऑनलाइन प्रस्तुत करने तथा निविदा खोलने की प्रकिया के लिए दिशा–निर्देश https://www.mptenders.gov.in/ से डाउनलोड किए जा सकते है।

13. तकनिकी निविदा ई–निविदा पोर्टल पर ऑनलाईन खोली जांएगी।

14. निविदाकार को वाणिज्यिक निविदा ऑनलाईन अपलोड करनी चाहिए और पोर्टल पर दिये गये बिल की मात्रा(BOQ) के अनुसार अपलोड करनी चाहिये।

15. निविदा मुल्य में जीएसटी, अन्य सभी कर और शुल्क शामिल होगें और यह भारतीय रूपये में होगां।

16. निविदाकार द्वारा अनुलग्नक 01 से उल्लेखित प्रारूप के अनुसार एक स्व–घोषणा – काली सुची में दर्ज नही होने संबंधित प्रमाण पत्र निविदा दस्तावेजों साथ रू. 100 के स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

वन मण्डल धार अंतर्गत किराये के वाहन हेतु परिक्षैत्रो की जानकारी

क्र.	वन मण्डल का नाम	परिक्षेत्र
1	2	3
1	वन मण्डल धार	कुक्षी
2	वन मण्डल धार	धामनोद
3	वन मण्डल धार	बाग
4	वन मण्डल धार	टाण्डा
5	वन मण्डल धार	धार
6	वन मण्डल धार	सरदारपुर
7	वन मण्डल धार	मण्डव

वन मण्डल अधिकारी
वन मण्डल धार

Scanned with CamScanner

(स) ई–निविदा खोलना और उसका मूल्याकंन –

17. निविदाकर्ता किसी भी या सभी निविदाओं को परियोजना के सर्वोत्तम हित में समझे जाने वाले विचारों के आधार पर बिना किसी कारण बताए, स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

18. निविदाकर्ता, प्राप्त तकनिकी और वाणिज्यिक निविदाओं की जांच और मूल्याकंन करने के लिए निविदा मुल्याकंन समिति (TEC) नियुक्त करेगा। निविदा मुल्याकंन समिति, निविदाओं की जांच करके यह निर्धारित करेगी कि वे पूर्ण एवं उत्तरदायी है और निविदा प्रारुप RFP आवश्कताओं के अनुरूप है या नही। निविदाकर्ता, निविदा में किसी भी अनौपचारिकता या गैर–अनुरूपता को माफ कर सकता है। जो निविदाकर्तो के अनुसार भौतिक विचलन का गठन नहीं करता है।
(गैर–भौतिक विचलन छोटी मोटी त्रुटियों या चुक को संदर्भित करता है जो निविदा की मुल्य आवश्यकताओं या मुल्याकंन प्रकिया की निष्पक्षता को प्रभावित नही करती है।, जैसे कि छोटी –मोटी लिपिकीय त्रुटियॉ या प्रारूपण संबंधी मुद्दे।)

19. निविदाकर्ता केवल तकनिकी रूप से सफल निविदाकारों की वित्तीय निविदाऐं खोलेगा।

20. यदि कोई फर्म शुन्य शुल्क/ प्रतिफल उद्धृत करती है, तो निविदा को अनुत्तरदायी माना जाएगा और उस पर विचार नही किया जाएगा। इसी प्रकार, यदि समिति/वन मण्डल अधिकारी की राय में, निविदाकर्ता द्वारा उद्धृत प्रतिफल या तो बहुत कम या बहुत अधिक है, तो उसे भी अस्वीकार किया जा सकता है।

21. यदि दो या अधिक निविदाकर्ताओं के द्वारा प्रस्तुत वित्तीय प्रस्ताव एक समान पाये जाते है, तो स्वीकृत L-1 फर्म को कार्य आदेश समान मात्रा के किया जायेगा।

22. कोई भी सशर्त निविदा अस्वीकार कर दी जाएगी।

23. **अंकगणितीय त्रुटियों को निम्नलिखित आधार पर ठीक कर किया जाएगाः** यदि ईकाई मूल्य और कूल मुल्य के बीच कोई विसंगति है, जो ईकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करके प्राप्त की जाती है, तो इकाई मूल्य मान्य होगा। और कुल मूल्य को सही किया जाएगा। यदि शब्दों और आंकडों के बीच कोई विसंगति है, तो शब्दों में राशि मान्य होगी।

24. निविदाकर्ता किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने और अनुबंध करने से पहले किसी भी समय निविदा प्रकिया को निरस्त करने और सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरिक्षत रखता है, जिससे प्रभावित निविदाकार या निविदाकारों के प्रति निविदाकर्ता का कोई दायित्व उत्पन्न नही होगा तथा निविदाकर्ता की कार्यवाही के कारणों के बारे में प्रभावित निविदाकार या निविदाकारों को सुचित करने का कोई दायित्व नही होगा।

वन मण्डल अधिकारी
वन मण्डल धार

Scanned with CamScanner

(द) अनुबंध का पुरस्कारः–

25. सबसे कम दर अदधृत करने वाली फर्म को निविदा दी जाएगी। यदि ऐसा होता है कि विभिन्न सामग्रियों के लिए प्राप्त न्युनतम दरें अलग अलग फर्मों से हैं, तो कार्य आदेश उन संबंधित फर्मों को जारी किए जाएगें, जिनकी उक्त वस्तुओं के लिए क्रमशः सबसे कम दरें है।

26. नियोक्ता सफल निविदाकारों को 'स्वीकृति पत्र' (एलओए) (अनुलग्नक 5) जारी करके सुचित करेगा कि उसकी निविदा स्वीकार कर ली गई है। अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय सफल निविदाकार को शपथपत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

27. अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले जिस निविदाकार को स्वीकृति पत्र LOA जारी किया गया है, उसे इस निविदा के लिए सुरक्षा जमा के रूप में अनुभाग II " महत्वपूर्ण तिथियॉ/सामान्य जानकारी"पृष्ठ के कमांक 6 में निर्दिष्ठ राशि जमा करनी होगी। निष्पादन सुरक्षा कियाशील शाखा वाले अनुसूचित बैंक (सहकारी बैंको को छोडकर)से सावधि जमा रसीद (एफडीआर) या बैंक गारंटी के रूप में वन मण्डल अधिकारी धार वन मण्डल जिला धार" के पक्ष में जमा की जा सकेगी। सावधि जमा रसीद (एफडीआर) या बैंक गारंटी की वैधता अनुबंध की सम्पूर्ण अवधि से 03 माह अधिक अवधि के लिए होगी। यदि धारा 2 के पैरा 1 के अनुसार निविदा प्रस्ताव की वैधता कुछ अवधि के लिए बढाई जाती है , तो नई निष्पादन सुरक्षा जमा राशि जमा करनी होगी। हालॉकि , यदि मूल निष्पादन सुरक्षा जमा वैधता की अवधि आवश्यक निर्दिष्ठ तिथि के लिए वैध है, तो उसे जारी रखा जा सकता है।

निष्पादन सुरक्षा यह संतुष्ठ होने पर वापस कर दी जाएगी कि अनुबंध के तहत निविदाकार द्वारा दायित्वों का उचित निष्पादन किया गया है। हालॉकिं, विभाग द्वारा निष्पादन सुरक्षा पर कोई ब्याज देय नही होगा।

निष्पादन सुरक्षा राशि की गणना मध्यप्रदेश भण्डार कय नियम और सेवा उपार्जन नियम, 2015 (संशोधित–22) के अनुरूप की जाएगी।

28. मासिक किराये का वाहन 24 घंटे विभाग की सेवा में रहेगा ।

29. इस अनुबंध के उल्लंघन की स्थिति में या इस अनुबंध के अनुसार लागु किसी भी दंड की वसूली के लिए निविदाकर्ता को सफल निविदाकार को नोटिस दिए बिना, निष्पादन सुरक्षा की राशि को पूरी तरह या आंशिक रूप से लागु करने और विनियोजित करने का अधिकार होगा। संदेह से बचने के लिए पक्ष स्पष्ट रूप से सहमत है। कि निष्पादन सुरक्षा में शामिल किसी भी राशि के विनियोजन की आवश्यक्ता वाले किसी भी चुक की स्थिति में निविदाकर्ता सफल निविदाकार को देय किसी भी बाद के भुगतान से कटौती कर सकता है, जैसे कि वह इस अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार निष्पादन सुरक्षा को विनियोजित कर रहा हो। निष्पादन सुरक्षा को लागु करने के कारणों में नीचे दी गई शर्ते शामिल हैं, लेकिन इन्ही तक सीमित नही है।

I. निविदाकार वाहन देने में सक्षम नही है या निविदाकार ने ऐसा वाहन दिया है जो समिति/वन मण्डल अधिकारी की राय में आवश्यक गुणवत्ता मानक को पूरा नही करता है और इस लिए निरीक्षण के दौरान उसे अस्वीकार कर दिया गया है।

II. निविदाकार या उसका कर्मचारी निविदाकर्ता के साथ अपने जुडाव के दौरान किसी भी गैरकानुनी गतिविधि में शामिल है।

III. यदि निविदाकार लगातार तीन बार, निविदाकर्ता या उनके प्रतिनिधि द्वारा उठाई गई आवश्कताओं के प्रति गैर–उत्तरदायी है।

IV. निविदाकार समय पर बकाया राशि का भुगतान नही करता है।

30. यदि सफल निविदाकार द्वारा निविदा शर्तो का उल्लंघन किया जाता है तो जमा की गई सत्यांकार राशि एवं निष्पादन सुरक्षा राशि जप्त करने के साथ 5 वर्ष के लिए काली सूची में दर्ज करने की कार्यवाही की जा सकेगी ।

31. स्वीकृत निविदाकार द्वारा वाहन तत्काल उपलब्ध कराया जावेगा।

Scanned with CamScanner

32. अनुबंध सामझौते पर हस्ताक्षर

32.1 सफल निविदाकार को निष्पादन सुरक्षा और अतिरिक्त निष्पादन सुरक्षा, यदि कोई हो, प्रस्तुत करनी होगी और स्वीकृति पत्र जारी होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा। अनुबंध समझौते का प्रारूप अनुलग्नक 7 में दिया गया है।

32.2 अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर को वाहन उपलब्ध कराने की सुचना के रूप में माना जाएगा। वाहन उपलब्ध कराने के लिए निविदाकर्ता द्वारा निविदाकार को आम तौर पर कोई अलग आदेश जारी नही किया जाएगा।

32.3 सफल निविदाकार द्वारा निष्पादन सुरक्षा, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने या अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर करने में विफल रहने की स्थिति में, निविदाकार के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए निविदाकर्ता के अधिकार पर प्रतिकुल प्रभाव डाले बिना उसकी सत्यांकार की राशि (ईमएडी) जब्त कर ली जाएगी।

33. निविदाकर्ता, इस अनुबंध और लागु कानुन के तहत किसी भी अन्य उपाय के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, सफल निविदाकार को चुक का कारण बताते हुए 30 दिनों का लिखित नोटिस देकर अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और जैसा वह उचित समझे , अनुबंध को पुरी तरह या आंशिक रूप से समाप्त कर सकता है और निविदाकार को काली सुची में डाल सकता है।

34. अनुबंध भारत में प्रचलित और लागु कानुनों द्वारा निर्धारित कानुनों और प्रक्रियाओं द्वारा शासित होगा, ऐसे वाणिज्यिक लेनदेन/प्रसंस्करण के संबंध में समय–समय पर लागु कानुन और अधिनियम के ढाचे के भीतर सभी कानुनी विवाद केवल मध्यप्रदेश के न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा।

वन मण्डल अधिकारी
वन मण्डल धार

Scanned with CamScanner

ई. अन्य नियम और शर्तें

39. निविदाकार का प्रस्ताव अस्वीकार किया जा सकता है यदि वे निविदा दस्तावेज, नियम और शर्तो और शुद्विपत्र (यदि कोई हो) में मांगे गए किसी भी प्रमाण पत्र/दस्तावेज को अपलोड नही करते है।

40 यदि निविदा की वैधता अवधि के भीतर यह पाया जाता है कि निविदाकार द्वारा प्रस्तुत/अपलोड किए गए दस्तावेजो में से कोई या कुछ झुठे या धोखाधडी वाले है, तो निविदाकार का प्रस्ताव अस्वीकार किया जा सकता है। ऐसे मामले में निविदाकार का समझौता रद् किया जा सकता है, जिसके बाद निविदाकार की सत्यांकार की राशि (ईएमडी) और निष्पादन सुरक्षा जमा जब्त की जा सकती है।

41. इस निविदा सुचना जारी किए गए कार्य आदेश में जिन प्रावधानों का उल्लेख नही किया गया है, उनके संबधं में निर्णय का अधिकार निविदाकर्ता के पास होगा।

वन मण्डल अधिकारी
वन मण्डल धार

Scanned with CamScanner

अनुलग्नक 1-

– स्वघोषणा :प्रारूप काली सूची में दर्ज नहीं होने संबंधित प्रमाण पत्र

₹100 के स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाना है

दिनांक//:

सेवा में,

वनमंडलाधिकारी

वनमंडल धार

जिला-धार (म०प्र०)/

महोदय,

दिनांक .... के निविदा संदर्भ संख्या .... के प्रत्युत्तर में, ...के स्वामीरूप में निदेशक के/भागीदार/, मैंहमघोषणा / .... फर्म/करते हैं कि वर्तमान में हमारी कंपनी का रिकार्ड बेदाग है तथा उसे किसी भी राज्यसार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा अनिश्चित काल के लिए या किसी विशेष /केंद्र सरकार/ अवधि के लिए भ्रष्ट और धोखाधडीपूर्ण कार्यों के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया गयाहै।

हम आगे घोषणा करते हैं कि वर्तमान में हमारी कंपनी ....फर्म/निविदा प्रस्तुत करने की तिथि पर किसी भी राज्यसार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा भ्रष्ट और /केन्द्र सरकार/ धोखाधड़ीपूर्ण व्यवहार के अलावा अन्य कारणोंसे काली सूची में नहीं डाली गई है और न ही अयोग्य घोषित की गई है।

यदि यह घोषणा गलत पाई जाती है तो किसी भी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरीहमारी / प्रतिभूति पूर्णतः जब्त कर ली जाएगी तथा निविदा, यदि कोई हो, को स्वीकार की गई सीमा तक रद्द कर दिया जाएगा।

आपका धन्यवाद,

निविदाकार का नामः

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताः -

संगठन की मुहरः -

दिनांकः

स्थानः

Scanned with CamScanner

अनुलग्नक 2-

प्रारूप: निविदा में भाग लेने वाले व्यक्ति / फर्म का विवरण स्वघोषणा

1- निविदाका: फर्म का नाम/

2- पिता का नाम ....

3- स्थायी पता मकान क्रमांक ....

गली क्रमांक ....

स्थान ....

....

जिला .... पिन कोड ....

4- कार्यालय का पता

....

गली क्रमांक ....

स्थान ....

जिला .... पिन कोड ....

5- सत्यांकार राशि .... बैंक गारंटी/एफडीआर -: का विवरण प्रकार (.डी.एम.ई)

संख्या दिनांक ....

राशि ....

....

बैंक का नाम ....

6- जीएसटी नंबर ....

निविदाकार के हस्ताक्षर

घोषणा

मैं, ...

पितापति/

....घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सही है। यदि उपरोक्त जानकारी में कोई विसंगति पाई जाती है, तो उसके लिए मैं पूरी तरह जिम्मेदार रहूँगा। मैंने निविदा दस्तावेज़ की सभी शर्तों, नियमों और आवश्यकताओं को पढ़ और समझ लिया है और उनका पालन करने की शपथ लेता हूँ।

निविदाकार के हस्ताक्षर

Scanned with CamScanner